


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूँ, जयपुर

फर्क अहकाम

महिला ज्योतिषा प्रसे वनाग सुवाहाल  
विद्यापिठ मण्डि

संख्या 101/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/5/23		<p>पत्रावली आज्ञा प्रशासन गांवों के संगे अचिपान केम्प कोर्ट नागलकेयू में पेश हुई। वादी अचिपान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सख्यां 1 की और से अधिवक्ता नामूलाल बेनीवाल ने उ.त.पेश की। वादी अधिवक्ता ने पत्रावली में प्राथमिक डीडी किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कब्जाकायत अनुसार तक्रार किये जाने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया व वधूस पर गनन किया गया। पत्रावली में पक्षकारों ने कब्जा-कायत के आधार पर तक्रार हेतु सहमति जाहीर की।</p> <p>भात: पत्रावली के वाई गिटस सखु वाडयुद तक्रार के आफेंड किये जाते हे प्राथमिक डिमी जारी हे। निर्णय फर्क से लिखा जाकर पत्रावली आगामी तारीख फेसी दिनांक 23/05/2023 के पेश हे।</p> <p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक / मु.) चौमूँ</p>	<p>No objection for 15/5/23 U.T. for D.No-1 कब्जाकारत अनुसार कब्जाकायत अनुसार नामूलाल बेनीवाल एड</p>
2.3/5/23		<p>प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे / अवकाश पर हे। अतः अधिवक्ता कार्यवाही हेतु दिनांक 12/7/23 को पेश हो।</p>	
12/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई। उच्च परकाशन के अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व में कुरीयन प्रस्ताव दिनांक 05/07/23 को पेश हो चुके थे। जो अचिपान अचिपान</p>	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

**फर्द अहकाम**

संख्या 101/2022 नाम सुवालाल

नाम न्यायालय

केस संख्या

101/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अज्ञेय शर्मा / तदर्थ अज्ञेय सुनी गढ़ी                      पञ्जावली एवं कुंजीपार का अवलोकन                      किया गया। वारी सा धातु कुंजीपार                      दिनांक 05/07/23 के अनुसार                      अज्ञेय शर्मा किताब जाकर विस्तृत                      निष्पत्ति प्रदान की। लिखवाया जाकर                      शामिल मिराल किताब वारी अज्ञेय                      शर्मा जा रही है। पञ्जावली फैसला                      सुधार होकर रजि-नम्बर से                      काम होकर डाखिल सुधार है।</p>

सहायक क्लर्क  
(फास्ट ट्रेक)  
चौधरी (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- रतन कोर (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-101/2022

उनवान

महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति, रिंगस रोड, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. सुवालाल पुत्र श्रीनारायण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
  3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अधीन धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :-12.07.2023

पत्रावली पेश हुई, व. फ. उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2023 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी काशतकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 05.06.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 591 के हाल खसरा नम्बर 2037 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/2352 रकबा 0.20 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 3.55 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति, हिस्सा पूर्ण रिंगस रोड, कस्बा चौमूं खातेदार का खसरा नम्बर 2037/2352 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 1.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/3 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.775 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सुवालाल पुत्र श्रीनारायण, हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा10 देह राहीन हिस्सा पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं खातेदार को खसरा नम्बर 2037/2 रकबा 1.775 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.775 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलेक्टर  
(कॉन्स्ट ट्रैक)  
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं०-101/2022

उनवान- महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति बनाम सुवालाल

निर्णय दिनांक- 12.07.2023

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक क्लर्क  
(फा0/मुख्यालय) चौमू  
चौमू जियपुरा



**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ड्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी रतन कौर(R.A.S.)**

मुकदमा नं०:-101/2022

उनवान

महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति, रिंगस रोड, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. सुवालाल पुत्र श्रीनारायण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।  
-प्रतिवादीगण-

**दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरू रतन कौर आरएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

1. महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति, हिस्सा पूर्ण रिंगस रोड, कस्बा चौमूं खातेदार का खसरा नम्बर 2037/2352 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 1.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/3 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.775 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सुवालाल पुत्र श्रीनारायण, हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह राहीन हिस्सा पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमूं खातेदार को खसरा नम्बर 2037/2 रकबा 1.775 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.775 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....  
सुवालाल कलेक्टर  
आहदा .....  
(फा0ड्रै0) चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं०-101/2022  
उनवान- महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापिठ समिति बनाम सुवालाल  
निर्णय दिनांक- 12.07.2023

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

ds  
सहायक क्लर्क  
(कास्ट ट्रेक)  
चौक जयपुरा